ज्ञापांक–1277/तक0/2021

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–01वीं अप्रैल 2021

सेवा में,

Mr, Rounak Raj,
17, Dinkar Nagar, Hatia, Ranchi-834003

विषयः– **मौजा–चानो, प्लॉट नं0–76P, खाता नं0–Order No.-239, वार्ड नं0–00, थाना–लोहसिंघन, जिला–हजारीबाग में प्रस्तावित व्यावसायिक होटल भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित होटल भवन हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, हजारीबाग के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–82 दिनांक–20.03.2021 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित होटल भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित होटल भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. होटल भवन के दोनों स्टेयरकेश में तथा Multy Pupose Hall में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ एक–एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मीटर लम्बा होजरील होज, डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय। 150 mm डाया वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय।
5. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास फोवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
6. पूरे होटल भवन के सभी तलों को स्मोक डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
7. पूरे होटल भवन को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकल के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
8. 2280 Lpm क्षमता का एक बेस पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
9. 180 Lpm का जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
10. 900 Lpm का स्वाचालित टेरेस पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
11. पम्पिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
12. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से भी जोड़कर रखा जाय।
13. होटल भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रिशियन से हीं कराया जाय।
14. होटल भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले चार–चार अदद A, B,C, अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
15. सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।

16. होटल भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
17. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
18. होटल भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
19. होटल भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
20. प्रत्येक तलों के स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि–रोधी स्वाचालित फायर चेक डोर का संस्थापन किया जाय।
21. होटल भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
22. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
23. होटल भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
24. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2021.04.01 14:30:06 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।